राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

कमांक :– ई–18/एम/(लूज)/09 दिनांक :

परिपत्र

निदेशालय के पूर्व परिपत्र कमांक ई–18/एम/परिपत्र /08/1657 दिनांक 22.08.08 एवं 2500 दिनांक 17.12.09 के द्वारा विभाग के मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत दो वर्षीय परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिको को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक एवं संतोषजनक पूर्ण करने पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.03.06 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने के निर्देश दिये गये थे।

विभिन्न जिला अधिकारियों द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर कनिष्ठ लिपिको को नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने बाबत् मार्ग दर्शना चाहा जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिको के नियुक्ति आदेश मे स्पष्ट उल्लेखित है कि दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। दो वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की जाती है तो आगामी एक वर्ष परिवीक्षा काल बढाया जा सकेगा। जिससे बढी हुई अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसा न होने पर नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वधीन होगी। इस प्रकार दो या तीन वर्ष के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही नियमित वेतन श्रृंखला देय होगी। नियमित नियुक्ति के पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही है। प्रथम नियुक्ति आदेश ही पूर्ण एवं पर्याप्त है। मात्र निर्धारित वेतन श्रृंखला में वेतन नियत किया जाना है। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में आप द्वारा सूचना आज दिवस तक प्रेषित नही की गई है जो नियमानुसार उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अनुकम्पात्मक नियुक्त कनिष्ठ लिपिको की नियमित नियुक्ति के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही करने का श्रम करे तथा जिन कर्मचारियों ने 3 वर्ष की अधिकतम अवधि में भी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की है उनके प्रस्ताव एक सप्ताह में आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। निश्चित समयावधि में यदि प्रस्ताव नही भिजवाऐ गऐ तो यह मान लिया जावेगा कि आपके अधीन ऐसा कोई कनिष्ठ लिपिक कार्यरत नही है जिसने निर्धारित अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की है।

अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।

कमांक :– ई–18/एम/(लूज)/09 /753 दिनांक : 27/4/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स/आई.ई.सी.) मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकि0 इकाई, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकि0 एवं स्वा0 सेवायें जोन.............................राजस्थान।
6. समस्त अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सा वर्ग समूह, राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर रूप को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय बेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
10. परिपत्र पत्रावली।

अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।